वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 26.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर “,अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, जनसंदेश टाइम्स,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 26.12.2024

वीडीए सभागार में निफ्ट की कार्यशाला आज

वाराणसी। वीडीए कार्मिकों के बच्चों के लिए आज 11 बजे से कार्यशाला का आयोजन होगा। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार कार्यशाला निफ्ट की ओर से वीडीए सभागार में होगी। इसमें कक्षा 9 से 12 के बच्चों की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने संबंधी चर्चा होगी। निफ्ट वाराणसी विशेषज्ञ फैशन डिजाइनिंग में कैरिअर की संभावनाओं पर जानकारी साझा करेंगे। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 26.12.2024

सील तोड़कर निर्माण कार्य करने पर दर्ज कराया केस

- मानचित्र के विपरीत कार्य पर पहले हुई थी कार्रवाई
- अवैध निर्माण हटाने पर सील खोलने को कहा था

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने लंका के नरोत्तमपुर में वृंदावन रेजीडेंसी के पास स्वीकृत मानचित्र के विपरीत भवन निर्माण पर भवन स्वामी अरविंद सिंह पर केस दर्ज कराया है। इसे 5 दिसंबर को सील किया गया था। दो दिन पहले वीडीए प्रशासन ने तहरीर दी थी जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है।

मानचित्र के विपरीत भवन स्वामी ने एक तरफ डेढ़ मीटर और दूसरी ओर तीन मीटर बढ़कर कॉलम बना लिया है। उच्चाधिकारियों को शिकायत मिलने पर वीडीए ने कार्रवाई की। इस बीच भवन स्वामी ने एक राजनेता के माध्यम से वीडीए पर दबाव बनाने का प्रयास किया। राजनेता ने वीडीए प्रशासन को पत्र लिखकर मामले को देख लेने को कहा। इसके बाद भवन स्वामी से कॉलम ध्वस्त करने पर सील खोलने की बात कही पर अरविंद सिंह ने मनमानी जारी रखी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 26.12.2024

वीडीए में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कार्यशाला आज

विकास प्राधिकरणके कर्मचारियोंके बच्चोंके लिए एक कार्यशाला आयोजित होनेवाली है। उपाध्यक्ष महोदयके निर्देशके अनुसार यह कार्यशाला गुरुवारको ११ बजेसे प्रारम्भ होगी जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजीके विषयमें कक्षा नौ से १२ तक के बच्चोंको जानकारी दी जायेगी। इस कार्यशालामें यह भी देखा जायेगा कि संबंधित विषयमें बच्चोंकी रुचि एवं अभिभावकोंकी जानकारी किस प्रकारकी है। इस महत्वपूर्ण कार्यशालामें इस बात पर जोर दिया जायेगा कि फैशन टेक्नोलॉजीपर आने वाली युवा नस्लोंको नयी से नयी टेक्नोलॉजीके विषयमें जानकारी हो।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 24.12.2024

केपीआई उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

ठेकेदारों को चेतावनी

सही कारण और जानकारी पर चूक से बचें

वाराणस। वायोलेशन का सहीं कारण संबंधित जनपद की जानकारी और ठेकेदारों के नाम में चूक से केपीआई वायोलेशन पर. ठेकेदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर वीडीए उपाध्यक्ष एवं खाद्य नियंत्रक (मंडल) पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में चार जिलों से उपलब्ध कराए गए ठेकेदारों के छोटे वाहनों के सूची की बखूबी जानकारी की गई,वहीं उसके रूटचार्ट की स्थिति पर भी चर्चा हुई। जिसमें वाराणसी, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर के ठेकेदार शामिल रहे बैठक में केपीआई वायोलेशन (रेड फ्लैग, इन-रूट स्टॉपेज, रूट डेविएशन, फोर्स क्लोजर, अनऑथराइज्ड लोकेशन) की स्थिति पर गहन समीक्षा की गई। इस दौरान जौनपुर और गाजीपुर जनपदों में केपीआई वायोलेशन की स्थिति खराब पाए जाने पर उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताई,और प्रतिदिन वायोलेशन की विस्तृत रिपोर्ट केएमएल फाइल के साथ प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने वायोलेशन का सहीं कारण संबंधित जनपद की जानकारी और ठेकेदार के नाम स्पष्ट रूप से सूची तत्काल उपलब्ध नही कराए जाने पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में लापरवाहीं किए जाने पर ठेकेदारों पर प्रत्येक वायोलेशन पर लगभग 500 से 2000 तक रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने संबंधित डीएफएमओ को निर्देशित किया है कि वायोलेशन की रोकथाम सुनिश्चित करें ,अन्यथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर आरएमओ प्रदीप कुमार कुशवाहा, डीसी फूड राजन गोयल, डीएसओ, आदि लोग उपस्थित रहे।